Case No :- 23/2021
RCMS No :- 2021/97

16/7/21 पत्रावली आज पेश हुई।
लोक सूचना अधिकारी तह० मा० जं० के आदेश पत्रांक 1074 दि 18-6-21 के सूचना के संदर्भ में बिन्दु सं० (1) के अनुसार NJ. ~~श्री~~ [illegible] गोगून्दा जिला उदयपुर के कार्यरत होना उल्लेखित किया है तथा तह० मा० जं० श्री सुरेश कुमार TE पचपदरा होना उल्लेखित किया है इससे जाहिर नहीं होता की सूचना उपलब्ध करा दी है NT व तह० के अपनी दैनिक डायरी जमा कराना या कराया जमा नहीं कराई है तो प्रस्तुत प्रेषित करें ताकि उनके लिखा जावे अपी० के जवाब की प्रति लोकसूचना अधिकारी उपरोक्तानुसार पत्र तह को लिखा जाकर साथ में प्रेषित की जावे साथ ही टालमटोल नहीं कर अपी० को सूचना उपलब्ध कराने हेतु सख्त पत्र जारी होकर पत्रावली दिनांक 10-8-21 को पेश हो।

जिला कलेक्टर, पाली

10/8/21 पत्रावली आज पेश हुई।
साबिका आदेश की पालना में लोक सूचना अधिकारी को पत्र लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 1-9-21 को पेश हो।

जिला कलेक्टर, पाली

11/9/21 पत्रावली आज पेश हुई।
साबिका आदेश दिनांक 16/7/21 की पालना की जाकर पत्रावली दिनांक 24/9/21 को पेश हो। 1319 / 2/9/21

जिला कलेक्टर, पाली

24-9-21 पत्रावली आज पेश हुई।
अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान लोक सूचना अधिकारी तह० मा० जं० से बिन्दु सं० (1) से (3) जो उनके प्रार्थना पत्र में वर्णित है उनकी सूचना चाही गई थी वह न्यायालय द्वारा लिखे जाने पर तह० मा० जं० ने अपने पत्रांक 12 दिनांक 9-7-21 से प्रार्थी अपीलार्थी को बिन्दु सं० (2) की सूचना उपलब्ध करवा दी गई है तथा बिन्दु सं० (1) व (3) की सूचना [illegible] मा० जं० के उपलब्ध नहीं होने बाबत [illegible] की सूचना इस न्यायालय [illegible] था [illegible] आशय प्रेषित की जा चुकी है [illegible] 1074 दि [illegible] 21 के [illegible] से इस न्यायालय [illegible] किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से यह अपील इसी स्तर पर जो सूचना नहीं है वह दिया जाना [illegible] नहीं होने से तथा अपीलार्थी को वांछित सूचना दिया जाने से निस्तारित की जाती है।
पत्रावली नियमानुसार [illegible] की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:24:09 IST
Reason: SelfAttested